राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/c-A/c/ 4288–4437 दिनांक 20/9/2019

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– महालेखाकार कार्यालय को ई–लेखा प्रस्तुत किए जाने एवं ऑनलाइन अंक मिलान के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 279–579 दिनांक 16.04.2019

महोदय,

विभाग के परिपत्र दिनांक 16.04.2019 के द्वारा महालेखाकार कार्यालय को ई–लेखा प्रस्तुत किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गये है। इस संबंध में निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग के स्तर से दिनांक 29.07.2019 एवं 05.08.2019 को समस्त विभागों/बजट नियंत्रण अधिकारियों के कार्यालयों के मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा चुका है तथा वर्तमान में कोषालयों के स्तर से समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

ई–लेखा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में आहरण वितरण अधिकारियों को पे–मैनेजर/पी.आर.आई. पे–मैनेजर पर बिल बनाने/डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु लॉगिन उपलब्ध रहेगा जिसमें उनके द्वारा बिलों को तैयार कर/आवश्यक दस्तावेज स्केन कर डिजिटल हस्ताक्षर किये जायेगें। अन्य विभागीय एप्लीकेशन जिनका इन्टीग्रेशन पे–मैनेजर/पी.आर.आई. पे–मैनेजरसे बिल बनाने हेतु किया गया है, उनसे संबंधित बिल के आवश्यक दस्तावेज स्केन कर पे–मैनेजर/पी. आर.आई. पे–मैनेजर के लॉगिन से अपलोड किए जा सकेगें। इन बिलों हेतु डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था भी पे–मैनेजर/पी.आर.आई. पे–मैनेजर के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी। निर्माण खण्डों के बिलों (वॉम मॉड्यूल पर तैयार बिल एवं पे–मैनेजर पर तैयार आऊटर बिल) हेतु भी पे–मैनेजर पर उपलब्ध लॉगिन में डिजिटल हस्ताक्षर करने तथा आवश्यक दस्तावेज स्केन कर अपलोड किए जाने की व्यवस्था रहेगी। ई–लेखा प्रेषण व्यवस्था कोषालय जयपुर (शहर), टोंक एवं सीकर के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों, खण्डीय अधिकारियों व पी.डी. खाता संचालकों हेतु पायलट आधार पर लागू की जा चुकी है। शीघ्र ही इसे समस्त कोषालयों के साथ प्रारम्भ किया जायेगा।

अतः ई–लेखा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों, खण्डीय अधिकारियों, पी.डी. खाता धारकों को अपने स्तर पर पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त संदर्भित परिपत्रों की अक्षरशः पालना हेतु निर्देशित करें। डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त ऑनलाइन बिल प्रेषण व्यवस्था अधिकृत आहरण वितरण, खण्डीय अधिकारी एवं पी.डी. खाता संचालकों द्वारा स्वयं ही सिस्टम पर पूर्ण जाँच व शुद्धता से सम्पादित किया जाना सुनिश्चित

किया जाये। इस प्रक्रिया में सिस्टम के लॉगिन पासवर्ड, डिजीटल हस्ताक्षर के पिन किसी अनाधिकृत कार्मिक/अधिकारी या अन्य को किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरित न किया जाये। सिस्टम के माध्यम से बिल पर डिजीटल हस्ताक्षर करना हार्डप्रति पर मूल हस्ताक्षर करने के समकक्ष है अतः इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाना अपेक्षित है।

भवदीय

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/e-A/c/ 4438-4737 दिनांक 20/9/2019

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. विभागों में पदस्थापित समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर।
7. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारी/खण्डीय अधिकारी व पी.डी. खाता धारक को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव

www.studywithrsm.com